न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध 115/2020

प्रार्थी –

1. कन्नेखां पुत्र कचुखां जाति मुसलमान निवासी बिरमपुरा [illegible] तह0 [illegible] जिला जोधपुर।

बनाम

विपक्षी –

1. [illegible] पुत्र कचुखां
2. [illegible] पुत्र कचुखां जाति मुसलमान निवासी बिरमपुरा [illegible] तहसील [illegible] जिला जोधपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये भू–अभिलेख तहसीलदार [illegible]

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित – 1. श्री [illegible] प्रार्थी वकील
2. विपक्षी [illegible] उपस्थित।

आदेश दिनांक :– 16.02.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि मौजा [illegible] पटवार क्षेत्र [illegible] भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील [illegible] में प्रार्थी के खातेदारी भूमि खेत खसरा 189 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थी अपने 1/3 हक हिस्से पर प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी है। प्रार्थी का परिवार में बोलचाल भाषा में [illegible] पुत्र कचुखां नाम से सम्बोधित किया जाता रहा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कन्नेखां पुत्र कचुखां है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज राशन कार्ड, [illegible], परिचय पत्र, [illegible] इत्यादि में कन्नेखां पुत्र कचुखां नाम से है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड खातों में नाम दर्ज करते वक्त गलती से [illegible] पुत्र कचुखां नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि के रेकर्ड में [illegible] नाम दर्ज होने से अन्य दस्तावेज कन्नेखां पुत्र कचुखां के नाम से होने से प्रार्थी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने विपक्षी व पटवारी को राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विपक्षीगण को सम्मन दिनांक 13.08.2020 को जारी किया गया। तहसीलदार [illegible] से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की तरफ से [illegible] नाम [illegible] के स्थान पर कन्नेखां पुत्र कचुखां दुरूस्ती [illegible] एतराज नहीं है। प्रार्थी व विपक्षीगण वकील को सुना गया तथा [illegible] व प्रार्थी का सही नाम के सम्बन्ध में परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स व अन्य सरकारी [illegible] दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] पंचायत समिति [illegible] (जोधपुर) रिपोर्ट के आधार [illegible] व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिससे प्रार्थी का सही नाम कन्नेखां

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:15:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पुत्र बच्चुखां है । जबकि प्रार्थी आराजी मौजा मण्डापुरा में कमरदीन पुत्र बच्छुखां दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं की गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा में प्रार्थी के खातेदारी भूमि खेत खसरा 189 रकवा 18 वीघा 10 विस्वा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कमरदीन पुत्र बच्छुखां के स्थान पर कमेखां पुत्र बच्चुखां दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 15.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:15:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner